

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

Income-tax

New Delhi, the 28th day of November, 2014

S.O. (E).— In exercise of the powers conferred by section 245Q read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (12th Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 44E,-
 - (A) in the marginal heading, for the words “Form of application for obtaining an advance ruling” the words “Application for obtaining an advance ruling” shall be substituted;
 - (B) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) An application for obtaining an advance ruling under sub-section (1) of section 245Q shall be made in quadruplicate,—

 - (a) in Form No. 34C in respect of a non-resident applicant referred to in sub-clause (i) of clause (a) of section 245N;
 - (b) in Form No. 34D in respect of a resident applicant referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of section 245N seeking advance ruling in relation to a transaction undertaken or proposed to be undertaken by him with a non-resident; and
 - (c) in Form No. 34DA in respect of a resident applicant referred to in sub-clause (iia) of clause (a) of section 245N falling within any such class or category of person as notified by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-clause (iia) of clause (b) of that section;

- (d) in Form No. 34E in respect of a resident falling within any such class or category of person as notified by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (b) of section 245N; and
- (e) in Form No. 34EA, in respect of an applicant referred to in sub-clause (iia) of clause (b) of section 245N of the Act, and shall be verified in the manner indicated therein.”

(C) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“3. Every application in the Form as applicable shall be accompanied by the proof of payment of fees as specified in sub-rule (4).

4. The fees payable along with application for advance ruling shall be in accordance with the following table:

Table

Category of applicant	Category of case	Fee
(1)	(2)	(3)
An applicant referred to in sub-clauses (i) or (ii) or (iia) of clause (b) of section 245N	Amount of one or more transaction, entered into or proposed to be undertaken, in respect of which ruling is sought does not exceed Rs. 100 crore.	Rs. 2 lacs
	Amount of one or more transaction, entered into or proposed to be undertaken, in respect of which ruling is sought exceeds Rs. 100 crore but does not exceed Rs. 300 crore.	Rs. 5 lacs
	Amount of one or more transaction, entered into or proposed to be undertaken, in respect of which ruling is sought exceeds Rs. 300 crore.	Rs. 10 lacs
Any other applicant	In all cases	Rs. 10000”

3. In the said rules, in Appendix-II, after FORM 34D, the following FORM 34DA shall be inserted, namely:-

“FORM NO. 34DA

[See rule 44E]

Form of application by a resident applicant referred to in section 245N(b)(iia) seeking advance ruling under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961 in relation to a transaction undertaken or proposed to be undertaken by him.

(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM)
BEFORE THE AUTHORITY FOR ADVANCE RULINGS

Application No. _____ of _____

1. Full name and address of the applicant with telephone and Fax Number
2. Status
3. Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant
4. Permanent Account Number
5. Name, address, telephone/fax number of the person with whom the transaction is undertaken or proposed to be undertaken
6. Question(s) of law or of fact relating to a transaction undertaken or proposed to be undertaken on which the advance ruling is required
7. Statement of the relevant facts having a bearing on the aforesaid question(s)
8. Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid question(s)
9. Whether there are any decisions of the Court on the question raised on which ruling is required? If yes, list of such relevant decisions.
10. List of documents/statements attached
11. Particulars of account payee demand draft accompanying the application

Signed
(Applicant)

Verification

I, _____ [name in full and in block letters]
son/daughter/wife of _____ do hereby solemnly
declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s),
including the documents accompanying such annexure(s), is correct and complete. I further declare
that I am making this application in my capacity as _____ (designation)
and that I am competent to make this application and verify it.

I also declare that the question(s) on which the advance ruling is sought is/are not pending in my
case before any Income-tax authority, the Appellate Tribunal or any Court.

Verified today the _____ day of _____
Place _____

Signed
(Applicant)

Notes.- 1. The application shall be filled in English or Hindi in quadruplicate.

2. The number and year of receipt of the application shall be filled in the office of the Authority for Advance Rulings.

3. If the space provided for answering any item in the application is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose. These should be signed by the applicant.

4. The application shall be accompanied by an account payee demand draft of applicable fees as per sub-rule (4) of rule 44E of the Income-tax Rules, 1962 in favour of Authority for Advance Rulings, payable at New Delhi. Particulars of the draft should be given in reply to item No. 11.

5. In reply to item No. 2, the applicant shall state whether he/it is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.

6. Regarding item No. 6, the question(s) should be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions will not be entertained.

7. In respect of item No. 7, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed transaction(s). Relevant facts reflected in documents submitted along with the application must be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.

8. For item No. 8, in Annexure II, the applicant must clearly state his interpretation of law or facts in respect of the question(s) on which the advance ruling has been sought.

9. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, must be signed as per sub-rule (2) of rule 44E of the Income-tax Rules, 1962.

ANNEXURE I

Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) on which the advance ruling is required

Place _____

Date _____

Signed
(Applicant)

ANNEXURE II


Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the question(s) on which advance ruling is required

Place _____

Date _____

Signed
(Applicant)"

[Notification No. 74/2014/ F. No. 142/6/2014-TPL]


(Gaurav Kanaujia)

Director to the Government of India

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (11th Amendment) Rules, 2014 vide notification S.O. No. 2874(E) dated 10th November, 2014.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, तारीख 28 नवंबर, 2014

का. आ. (अ). केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 245थ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम 1962 का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (12वां संशोधन) नियम 2014 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम 1962(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)में, नियम 44इ में, -

(क) उपांतिक शीर्षक में, शब्दों “अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का फार्म” के स्थान पर “अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र”शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन चार प्रतियों में --

(क) धारा 245 ढ के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट अनिवासी आवेदक के संबंध में प्रारूप सं. 34ग में,

(ख) धारा 245 ढ के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट अनिवासी आवेदक द्वारा किसी अनिवासी के साथ किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा करने वाले निवासी आवेदक की बाबत प्रारूप सं. 34घ में ; और

(ग) उस धारा के खंड (ख) के उपखंड (ii क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित व्यक्ति के वर्ग या प्रवर्ग में आने वाले धारा 245ढ के खंड (क) के उपखंड (ii क) में निर्दिष्ट किसी निवासी आवेदक के संबंध में प्रारूप सं. 34घक में,

(घ) धारा 245ढ के खंड (ख) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित व्यक्ति के वर्ग या प्रवर्ग में आने वाले किसी निवासी के संबंध में प्रारूप सं. 34ङ में, और

(ङ) अधिनियम की धारा 245ढ के खंड (ख) के उपखंड (ii क) में निर्दिष्ट आवेदक के संबंध में प्रारूप सं. 34ङक में,

किया जाएगा और इसे उसमें दर्शित रीति में सत्यापित किया जाएगा ।”

(ग) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

3. प्रत्येक आवेदन पत्र यथा लागू प्रारूप में उपनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट फीस के भुगतान के सबूत के साथ संलग्न होगा ।

4. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदनपत्र के साथ संदेय फीस निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी :

सारणी

आवेदक का प्रवर्ग	मामले का प्रवर्ग	फीस
1	2	3
धारा 245ढ के खंड (ख) के उपखंड (i) या (ii) या (ii क) में निर्दिष्ट आवेदक	किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित एक या अधिक ऐसे संव्यवहारों की रकम जिसकी बाबत विनिर्णय मांगा गया है। 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।	2 लाख रुपये
	किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित एक या अधिक ऐसे संव्यवहारों की रकम जिसकी बाबत विनिर्णय मांगा गया है। 100 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 300 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।	5 लाख रुपये
	किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित एक या अधिक ऐसे संव्यवहारों की रकम जिसकी बाबत विनिर्णय मांगा गया है 300 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।	10 लाख रुपये
कोई अन्य आवेदक	सभी मामलों में	10000 रुपये

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट - II में, प्रारूप 34घ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप 34घक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 34घक
(नियम 44ड. देखिए)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन अग्रिम निर्णय चाहने वाले,
धारा 245थ(ख) (ii क) में निर्दिष्ट आवेदक द्वारा किए गए या किए जाने के लिए
प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में आवेदन का प्रारूप
(कृपया इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष

.....का आवेदन संख्यांक.....

1. आवेदक का पूरा नाम और पता, टेलीफोन और फैक्स नं. सहित
2. प्रास्थिति
3. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी
4. स्थायी खाता संख्यांक
5. उस व्यक्ति का नाम पता, टेलीफोन और फैक्स नं. जिसके साथ संव्यवहार किया गया या किया जाना प्रस्तावित है ।
6. किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे किसी संव्यवहार से, जिसके संबंध में अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है संबंधित विधि या तथ्यों का (के)प्रश्न
7. पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण
8. पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण
9. क्या न्यायालय का कोई निर्णय है जिसमें ऐसा प्रश्न उठाया गया है जिसमें विनिर्णय अपेक्षित हो ? यदि हां, ऐसा सुसंगत निर्णय सूचीबद्ध करें ।
10. संलग्न दस्तावेजों/विवरणों की सूची
11. आवेदन के साथ संलग्न पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट की विशिष्टियां

.....
हस्ताक्षरित
(आवेदक)

सत्यापन

मैं.....(पूर्ण नाम स्पष्ट अक्षरों में).....पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर और
उपाबंध (उपाबंधों) में, जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ लगे दस्तावेज
भी हैं, जो भी कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के
अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि
मैं.....(पदनाम).....के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा/रही हूँ
और मैं इस आवेदन को करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि वह (वे) प्रश्न, जिस पर (जिन पर) अग्रिम
विनिर्णय चाहा गया है, मेरे मामले में किसी आय-कर अपील प्राधिकारी, किसी अपील
अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है/हैं।

आज तारीखको सत्यापित किया गया।

.....
हस्ताक्षरित
(आवेदक)

स्थान.....

टिप्पण - 1. यह आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में चार प्रतियों में भरा जाएगा।

2. आवेदन का संख्यांक और प्राप्ति का वर्ष अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के
कार्यालय में भरा जाएगा।

3. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान
को अपर्याप्त पाया जाता है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नकों का प्रयोग किया
जा सकता है। इन्हें आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

4. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के पक्ष में आय-कर नियम, 1962 के नियम के नियम 44ड. के उपनियम (4) के अनुसार यथा लागू फीस का पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट दिया जाए । मद 11 के उत्तर में ड्राफ्ट की विशिष्टयां दी जानी चाहिए ।

5. मद सं. 2 के उत्तर में, आवेदक यह बताए कि क्या वह/यह कोई व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यक्ति-संगम या कंपनी है ।

6. मद सं. 6 के संबंध में, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिए) । परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

7. मद सं. 7 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को ब्यौरेवार बनाए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहार (संव्यवहारों) की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे । आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किया गया हो ।

8. मद सं. 8 के लिए उपाबंध 2 में आवेदक उस प्रश्न (प्रश्नों) की बाबत, जिसके (जिनके) संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें ।

9. आवेदन उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के उपाबंध और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले विवरणों और दस्तावेजों को आय - कर नियम, 1962 के नियम 44ड. के उपनियम (2) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जाए ।

उपाबंध 1

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) से, जिस (जिन) पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, संबद्ध सुसंगत तथ्यों का कथन

.....
हस्ताक्षरित
(आवेदक)

स्थान.....
तारीख.....

उपाबंध 2

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस (जिन) पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, आवेदक के, यथास्थित, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण

.....
हस्ताक्षरित
(आवेदक)

स्थान.....
तारीख.....

(अधिसूचना ७५ /2014/ फा.सं.142/6/2014-टीपीएल)

गौरव कनौजिया
(गौरव कनौजिया)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (11वां संशोधन) नियम, 2014 अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2874 (अ) तारीख 10/11/2014 द्वारा किया गया ।